भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2864
08 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

चित्तपुर और वाडी शहरों में पीएमएवाई-यू की स्थिति

2864. श्री राधाकृष्णः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत चित्तपुर और वाडी शहरों में मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए स्वीकृति, आरंभ, पूर्ण और वर्तमान में लंबित आवासीय परियोजनाओं और आवासों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) लंबित आवासों के लिए धनराशि स्वीकृत करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लंबित मकानों के लिए निधि की स्वीकृत में तेजी लाने और इस योजना के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) : 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में स्लम निवासियों सहित सभी पात्र शहरी लाभार्थियों/परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी(पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। योजना के चार घटक नामतः लाभार्थी आधारित निर्माण/विस्तार (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी),

"स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) हैं। पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और स्लम सहित शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की मंजूरी के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, इस योजना के तहत, स्लम निवासियों सहित पात्र शहरी लाभार्थियों के लिए चित्तपुर और वाडी कस्बों में क्रमशः 2,113 और 875 आवासों को मंजूरी दी गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार से पीएमएवाई-यू के तहत उपरोक्त कस्बों में आवासों की मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ग): पीएमएवाई-यू के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके द्वारा प्रस्तुत अनुपालन के आधार पर आवासों के निर्माण के लिए तीन किस्तों 40%, 40% और 20% में केंद्रीय सहायता जारी की जाती है, जैसा कि पीएमएवाई-यू योजना दिशानिर्देशों के अनुलग्नक 9ए में निर्धारित किया गया है। मंत्रालय आवासों के शीघ्र निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुपालनों के आधार पर, लगातार देय किस्तें जारी कर रहा है।

पीएमएवाई-यू, जो पहले **31.03.2022** तक थी, उसे सीएलएसएस वर्टिकल को छोड़कर **31.12.2024** तक बढ़ा दिया गया है, ताकि फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना योजना के तहत संस्वीकृत सभी आवासों को पूरा किया जा सके। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अनुसार विस्तारित मिशन अवधि के भीतर सभी संस्वीकृत आवासों को पूरा करने में तेजी लाने की सलाह दी गई है।

*****